

340



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. 3968 / 2014 पुनरीक्षण

प्र.३० क्रि.० 3968/ब/14

श्री. मुकेश भागवत एड०
नगर काज दि. 1-12-14

श्री. अमे 1-12-14
न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बैजनाथ मिश्रा पुत्र श्री राजाराम मिश्रा
निवासी वार्ड नं. 9 पुरानी बस्ती खजुराहो
तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीमती फूलवती पटेल पत्नी श्री जानकी पटेल निवासी नौरी पुरवा वार्ड नं. 15 खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदकगण

श्री. मुकेश भागवत
एड०
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

द्वारा प्र.कं. 02/अ-12/09-10 में पारित आदेश दिनांक

21.10.14 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की

धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

श्री. अमे 1-12-14

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि, वादग्रस्त भूमि ख.नं. 767 रकवा 2.429 हे. के पूर्व भूमिस्वामी लोकनाथ ने उक्त सर्वे नं. 767 में से अंश रकवा 0.203 हे. अनावेदक कं. 1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-3968-एक/2014

जिला-छतरपुर

बैजनाथ मिश्रा विरुद्ध श्रीमती फूलवती पटेल व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>3. यह निगरानी तहसीलदार राजनगर जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 02/अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21-10-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 12-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जैत्र) 21/2/2019 सदस्य</p>